

प्रतिलिपि पत्र सं०-4857/सत्तर-6-2008-2(774)/2008 दिनांक 30 दिसम्बर 2008 द्वारा अनुसचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब०/2747/2008 दिनांक 15.11.08 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम-2007) की धारा-37(2) के अधीन हरसहाय महाविद्यालय, पी० रोड, कानपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करते हैं :-

1. संस्था शासनादेश सं०-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों को अनुपालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं है ।
5. आगामी शैक्षिक सत्र में छात्र आवंटन से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किये जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/ 772/2008

दिनांक : 07/03/09

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रबन्धक, हरसहाय महाविद्यालय, पी० रोड, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
 2. उपकुलसचिव (अतिगोपनीय), सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर
 3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर
 4. सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर
 5. इंचार्ज, ई०डी०पी० सेंटर, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.228/जी0एस0 दिनांक 23.02.2006 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3779/2004 दिनांक 29.06.2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन हर सहाय महाविद्यालय, कानपुर को परास्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 326 /2006 दिनांक 22-03-06

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
प्रबन्धक, हर सहाय महाविद्यालय, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । सत्र 2005-06 समाप्त हो चुका है और वार्षिक परीक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी हैं प्रवेश सत्र 2006-07 के लिए किये जायेंगे ।
2. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/326/2006, कानपुर ।
3. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/326/2006, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव


प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.1894/जी0एस0 दिनांक 11.10.2006 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/813/2006 दिनांक 29.06.2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन हर सहाय महाविद्यालय, कानपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।


छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1629/2006

 दिनांक 16/11/06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक हर सहाय महाविद्यालय, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों/ईगित शर्तों की पूर्ति/निरन्तरता बनाये रखने का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित करना है कि उक्त वर्णित विषयों में प्रवेश शासनादेश संख्या-404/सत्तर-1-2006-17(18)05 दिनांक 28 मार्च 2006 तथा रिट याचिका संख्या-2830(एम0एस0) 2004 में पारित निर्णय दिनांक 22.9.2005 के अधीन रहेगा । प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग, अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।
2. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/813/2006, कानपुर ।
3. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/813/2006, कानपुर ।
4. उपकुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/813/2006, कानपुर ।


(महेश चन्द्र)

कुलसचिव

No.9993/G.S.

Dated U.P. Governor's Camp, June 5, 1978

From: Sri S.N.Sahay,
Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Kanpur University,
KANPUR

Sir,

I am directed to refer to your letter No. KU/Affl./
258-59/78, dated February 18, 1978, and to say that the Chancellor
has, under Section 37(2) of the U.P. State Universities Act, 1973,
been pleased to accord sanction to the proposal to grant permanent
affiliation to Har Sahai Degree College, Kanpur for the B.Com.

Yours faithfully,

Sd/-S.N.Sahay,
Secretary to the Chancellor, U.P.

.....
KANPUR UNIVERSITY, KANPUR

No. KU/Affl./724/78

Dated 24-6-78

hisa
16/7/78 Copy forwarded to the Secretary, Har Sahai Degree College
~~MANAGEMENT~~ Management, Kanpur, for information.

(Signature)
(HARMOHAI LAL)
By, Registrar (Affl.)